कार्यविधिक रक्षोपाय की सूचना

दिसंबर 2018

THE LEGAL FRAMEWORK

www.esc18.net

TEA

Texas Education Agency

विषय - सूची

विशेष शिक्षा में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय 2
माता-पिता के रूप में अभिभावक 2
बाल खोज 2
पहले लिखित नोटिस 2
माता पिता की सहमति 2
स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन 4
अनुशासन प्रक्रिया 4
शैक्षिक रिकॉर्ड 7
माता-पिता द्वारा स्वैच्छिक निजी स्कूल की नियुक्ति 9
माता पिता द्वारा निजी स्कूल की नियुक्ति जब एफएपी मुद्दा है 9
अधिकार स्थानांतरण जब आपका बच्चा 18 सालका होता है 10
सरोगेट अभिभावक 11
विशेष शिक्षा सूचना 11
असहमति का हल 12
राज्य आईईपी सुविधा 12
मध्यस्थता सेवाएं 12
विशेष शिक्षा शिकायत संकल्प प्रक्रिया 13
कारण प्रक्रिया सुनवाई कार्यक्रम 14

कार्यविधिक रक्षोपाय की सूचना

निःशक्तता पीड़ित बच्चों के पालकों के अधिकार

निःशक्तता पीड़ित व्यक्तियों की शिक्षा अधिनियम अर्थात इंडीविजुअल्स विद डिसएबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट (**आई.डी.ई.ए.**), वर्ष 2004 में यथा संशोधित, विद्यालयों के लिए यह आवश्यक करता है कि वे निःशक्तता पीड़ित बच्चे के पालकों को एक सूचना (नोटिस) प्रदान करें जिसमें आई.डी.ई.ए. और उसके कार्यान्वयनकारी विनियमों के तहत उपलब्ध कार्यविधिक रक्षोपायों की संपूर्ण व्याख्या हो। टेक्सास एजुकेशन एजेंसी (**टी.ई.ए.**) द्वारा तैयार यह दस्तावेज़, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए है और यह निःशक्तता पीड़ित बच्चों के पालकों को आई.डी.ई.ए. के तहत मिले उनके अधिकारों को समझने में उनकी मदद करता है।

■ विशेष शिक्षा में कार्यविधिक रक्षोपाय

आई.डी.ई.ए. के तहत शब्द *पालक* (अंग्रेज़ी में Parent) का अर्थ उस जैविक माता-पिता, गोद लेने वाले माता-पिता, पालन करने वाले माता-पिता यदि राज्यीय आवश्यकताओं द्वारा अनुमत हो, संरक्षक, जैविक या गोद लेने वाले माता-पिता के स्थान पर कार्यरत कोई व्यक्ति (जिसमें दादा-दादी-नाना-नानी, सौतेले माता-पिता या अन्य संबंधी शामिल हैं) से है जिसके साथ बच्चा रहता है, उस व्यक्ति से है जो बच्चे के कल्याण के लिए कानूनी तौर पर ज़िम्मेदार है, या स्थानापन्न (सरोगेट) माता-पिता से है। अंग्रेज़ी में सीमित निपुणता रखने वाले व्यक्ति के साथ प्रयोग किए जाने पर शब्द *मूल भाषा* (अंग्रेज़ी: Native Language) का अर्थ उस व्यक्ति द्वारा सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली भाषा से है; बधिर या सुनने में कठिनाई वाले लोगों के साथ प्रयोग किए जाने पर, *मूल भाषा* का अर्थ उस व्यक्ति द्वारा संचार के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली विधि से है।

विद्यालय के लिए आपको यह कार्यविधिक रक्षोपायों की सूचना प्रत्येक विद्यालयी वर्ष में केवल एक बार देनी आवश्यक है, अग्रांकित अपवादों में विद्यालय को आपको दस्तावेज़ की एक और प्रति प्रदान करनी होगी: आरंभिक संप्रेषण (रिफ़रल) पर या मूल्यांकन हेतु आपके अनुरोध पर; टी.ई.ए. के पास दर्ज की गई पहली विशेष शिक्षा शिकायत प्राप्त होने पर; विद्यालयी वर्ष में पहली उचित प्रक्रिया सुनवाई शिकायत प्राप्त होने पर; ऐसी अनुशासनात्मक काररवाई का निर्णय लिए जाने पर जो स्थापन में परिवर्तन गठित करती हो; या आपके अनुरोध पर।

आप और विद्यालय एक *प्रवेश, समीक्षा एवं बर्खास्तगी* (**ए.आर.डी.**) समिति के माध्यम से आपके बच्चे के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। ए.आर.डी. समिति यह निर्धारण करती है कि आपका बच्चा विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाओं के लिए अर्ह है या नहीं। ए.आर.डी. समिति आपके बच्चे के *वैयक्तिकृत शैक्षिक कार्यक्रम* (**आई.ई.पी.**) को विकसित करती है, उसकी समीक्षा करती है उसमें संशोधन करती है तथा आपके बच्चे के शैक्षिक स्थापन (प्लेसमेंट) का निर्धारण करती है। ए.आर.डी. समिति की भूमिका एवं आई.डी.ई.ए. से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एक साथी दस्तावेज़, प्रवेश, समीक्षा एवं बर्खास्तगी प्रक्रिया की पालक की मार्गदर्शिका में आपके विद्यालय की ओर से उपलब्ध है। आप इसे http://framework.esc18.net/ पर भी पा सकते हैं।

■ पालक माता पिता

यदि आप किसी विकलांगता के बच्चे के लिए एक पालक हैं, तो आप विशेष शिक्षा के फैसले लेने में भाग लेने के लिए सहमत हो सकते हैं और यदि आप बच्चे की अगली एआरडी समिति की बैठक के पहले आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करते हैं, लेकिन पालक होना शुरू करने के 90 दिन बाद नहीं, जाब आप बच्चे के लिए विशेष शिक्षा के उद्देश्य का निर्णय लेते है। एक बार जब आप अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लेंगे, तो एक ही बच्चे के लिए माता-पिता के रूप में कार्य करने के लिए या किसी अन्य बच्चे के लिए किराए के माता-पिता के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम को फिर से दोहराना आवश्यक नहीं है। यदि विद्यालय विशेष शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने के प्रयोजन के लिए आपको माता-पिता के रूप में नियुक्त नहीं करता है, तो उसे निर्णय किए जाने की तारीख से सात कैलेंडर दिनों के भीतर आपको लिखित अधिसूचना देनी होगी। अधिसूचना में एल.ई.ए. के निर्णय के लिए कारणों को स्पष्ट किया जाना और आपको यह सूचित किया जाना आवश्यक है कि आप टी.ई.ए. के पास एक विशेष शिक्षा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

■ चाइल्ड फ़ाइंड (बालक खोज)

■ किराए के माता-पिता

यदि समुचित प्रयासों के बाद, विद्यालय किसी बच्चे के लिए माता-पिता की पहचान या खोज नहीं कर पाता है, पालक माता-पिता, माता-पिता के रूप में कार्य करने के अनिच्छुक या अक्षम हैं, बच्चा किसी पालक गृह व्यवस्था में नहीं रहता है

राज्य में रह रहे निःशक्तता पीड़ित उन सभी बच्चों, जिन्हें विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है, की

या बच्चा राज्य का निवासी है, जब तक बच्चा राज्य का निवासी न हो और न्यायालय ने कोई किराए के माता/पिता नियुक्त न कर दिए हों, विद्यालय के लिए बच्चे के माता/पिता के स्थान पर किराए के माता/पिता नियुक्त करना अनिवार्य होगा। विद्यालय को मैककीनी-वेंटो होमलेस असिस्टेंस एक्ट में परिभाषित बेसहारा बेघर बच्चे के लिए भी किराए के माता/पिता की नियुक्ति करनी होगी। https://tea.texas.gov/index2.aspx?id=25769814474.

किराए के माता/पिता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होने के लिए आपको राज्य, विद्यालय, या बच्चे की शिक्षा या देखभाल में शामिल किसी एजेंसी का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और आपका कोई ऐसा हित नहीं होना चाहिए जो बच्चे के हित से टकराता हो. किराए के माता/पिता के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति के पास पर्याप्त जानकारी और कौशल हो तथा वह बच्चे के हित को आगे बढ़ाने, सुनिश्चित करने कि बच्चे के उचित प्रक्रिया अधिकारों का उल्लंघन न हो, बच्चे से मिलने और विद्यालय जाने, बच्चे के शैक्षिक रिकॉर्ड की समीक्षा करने, बच्चे की शिक्षा में शामिल किसी भी व्यक्ति से परामर्श करने, ए.आर.डी. समिति की बैठकों में शामिल होने, और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने में स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करने के लिए इच्छुक हो। किराए के माता/पिता के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति को बच्चे की अगली निर्धारित ए.आर.डी. समिति की बैठक से पहले, लेकिन किराए की/का माता/पिता के रूप में आरंभिक नियुक्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा। एक बार आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा और अनुमोदित होने के बाद, आपको उसी बच्चे के माता/पिता या किसी अन्य बच्चे के किराए के माता/पिता के रूप में कार्य करने के लिए फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम लेने की आवश्यकता नहीं है।

- **चाइल्ड फ़ाइंड (बालक खोज)**

राज्य में रह रहे निःशक्तता पीड़ित उन सभी बच्चों, जिन्हें विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है, की पहचान की जानी, उनके स्थान का पता लगाया जाना एवं उनका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, इनमें शक्तता पीड़ित वे बच्चे शामिल हैं जो निजी विद्यालयों में जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को चाइल्ड फ़ाइंड (बालक खोज) कहा जाता है।

विद्यालय को आपके बच्चे की पहचान, मूल्यांकन या शैक्षिक स्थापन अथवा आपके बच्चे को प्रदत्त *निःशुल्क उपयुक्त जन शिक्षा* **(एफ़.ए.पी.ई.)** को आरंभ करने या बदलने का प्रस्ताव रखने से पहले आपको अग्रिम लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। आपके पास यह अधिकार भी है कि विद्यालय आपके बच्चे की पहचान, मूल्यांकन या शैक्षिक स्थापन अथवा आपके बच्चे को प्रदत्त निःशुल्क उपयुक्त जन शिक्षा (एफ़.ए.पी.ई.) को आरंभ करने या बदलने से इनकार करने से पहले आपको अग्रिम लिखित सूचना दे। विद्यालय को अग्रिम लिखित सूचना अवश्य प्रदान करनी होगी, भले ही आपने परिवर्तन पर सहमति दी हो या परिवर्तन का अनुरोध किया हो।

विद्यालय को अग्रिम लिखित सूचना में अग्रांकित को शामिल

यदि आपकी मूल भाषा या संचार की वह अन्य विधि एक लिखित भाषा नहीं है, तो विद्यालय को सूचना का अनुवाद मौखिक रूप से या अन्य साधनों के द्वारा आपकी मूल भाषा में या संचार की अन्य विधि में करना होगा ताकि आप उसे समझ सकें। विद्यालय के पास इस बात का लिखित प्रमाण अवश्य होना चाहिए कि ऐसा किया गया है।

यदि, विद्यालय द्वारा आपके बच्चे को विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करना आरंभ कर दिए जाने के बाद किसी भी समय पर, आप सेवाओं के लिए अपनी सहमति वापस लेते हैं, तो विद्यालय को आपको बच्चे को विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करना रोक देना चाहिए। हालांकि सेवाएं रोकने से पहले, विद्यालय को आपको अग्रिम लिखित सूचना देनी चाहिए।
निःशक्तता पीड़ित बच्चे का पालक इलेक्ट्रॉनिक मेल (ईमेल) द्वारा लिखित सूचनाएं प्राप्त करने के विकल्प का चुनाव कर सकता है, बशर्ते विद्यालय यह विकल्प उपलब्ध कराता हो।

- **पालक की सहमति**

विद्यालय कुछ चीजें कर सके इससे पहले उसे आपकी सूचित सहमति अवश्य प्राप्त करनी होगी। आपकी *सूचित सहमति* का अर्थ है कि: जिस कार्य के लिए आपकी अनुमति माँगी जा रही है उस कार्य से संबंधित समस्त जानकारी आपको आपकी मूल भाषा, या संचार की अन्य विधि में दे दी गई है; जिस गतिविधि के लिए आपकी अनुमति मांगी गई है आप उसे समझते हैं एवं उस पर लिखित में सहमत हैं, और लिखित सहमति में गतिविधि का वर्णन है एवं उसमें जारी किए जाने वाले अभिलेखों को तथा वे जिन्हें जारी किए जाएंगे उन्हें सूचीबद्ध किया गया है; और आप समझते हैं कि आपके द्वारा सहमति दिया जाना स्वैच्छिक है तथा उसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। यदि आप विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाओं को सतत रूप से प्रदान किए जाने की अपनी सहमति वापस लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लिखित में करना होगा। यदि आप सहमति देते हैं और फिर उसे वापस ले लेते हैं, तो आपके द्वारा सहमति वापस लिया जाना पूर्व-प्रभावी नहीं होगा।
विद्यालय को पालक की सहमति प्राप्त करने के समुचित प्रयास करने के दस्तावेज़ अवश्य रखने होंगे।दस्तावेज़ों में सहमति प्राप्त करने के विद्यालय के प्रयासों के अभिलेख, जैसे विस्तृत टेलीफोन अभिलेख, पत्राचार की प्रतियां एवं आपके घर या रोज़गार के स्थान पर की गईं मुलाकातों के विस्तृत अभिलेख, अवश्य शामिल होने चाहिए।

- **आरंभिक मूल्यांकन** — आई.डी.ई.ए. के तहत आपका बच्चा निःशक्तता पीड़ित बच्चे के रूप में अर्ह है या नहीं इसका निर्धारण करने हेतु आरंभिक मूल्यांकन करने से पहले, विद्यालय को आपको प्रस्तावित मूल्यांकन की अग्रिम लिखित सूचना देनी होगी और आपकी सूचित सहमति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय को आरंभिक मूल्यांकन के लिए आपकी सहमति प्राप्त करने के समुचित प्रयास करने होंगे। आरंभिक मूल्यांकन के लिए आपकी सहमति का यह अर्थ नहीं है कि आपने विद्यालय को आपके बच्चे को विशेष शिक्षा सेवाएं देना आरंभ करने की सहमति भी दे दी है। यदि आपका बच्चा राज्य के संरक्षण के अधीन है और आपके साथ नहीं रह रहा है, तो विद्यालय के लिए तब आपकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा जब विद्यालय आपको खोज नहीं सकता हो या फिर जब आपके पालक अधिकार न्यायलय के आदेश द्वारा समाप्त कर दिए गए हों या किसी अन्य को समनुदेशित कर दिए गए हों।

- **आरंभिक सेवाएं** — विद्यालय को आपके बच्चे को पहली बार विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए भी आपकी सूचित सहमति चाहिए होगी। यदि आप आरंभिक सेवाएं देने पर अपनी सहमति देने के अनुरोध का उत्तर नहीं देते हैं, अपनी सहमति देने से इनकार कर देते हैं, या अपनी सहमति देते हैं और फिर लिखित में उसे वापस ले लेते हैं, तो इस स्थिति में यह नहीं माना जाएगा कि विद्यालय ने एफ़.ए.पी.ई. प्रदान करने की आवश्यकता का उल्लंघन किया है और उसके लिए आपके बच्चे हेतु ए.आर.डी. समिति का गठन करना या आई.ई.पी. विकसित करना आवश्यक नहीं होगा।

- **पुनर्मूल्यांकन** — विद्यालय को आपके बच्चे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आपकी सहमति अवश्य प्राप्त करनी होगी, बशर्ते वह यह न दर्शा सकता हो कि उसने आपकी सहमति प्राप्त करने के समुचित प्रयास किए और आप उत्तर देने में विफल रहे।

- **अध्यारोहण (ओवरराइड) कार्यविधियां** — यदि आपका बच्चा जन विद्यालय (पब्लिक स्कूल) में नामांकित है और आप आरंभिक मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन हेतु सहमति देने से इनकार कर देते हैं तो, विद्यालय मध्यस्थता या उचित प्रक्रिया सुनवाई कार्यविधियों का उपयोग करके आपके बच्चे के मूल्यांकन को आगे बढ़ा सकता है, पर ऐसा करना विद्यालय के लिए आवश्यक नहीं है।

  हालांकि उचित प्रक्रिया सुनवाई अधिकारी विद्यालय को आपकी सहमति के बिना आपके बच्चे का मूल्यांकन करने का आदेश दे सकता है, पर सुनवाई अधिकारी यह आदेश नहीं दे सकता है कि आपके बच्चे को आपकी सहमति के बिना विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान की जाएं।

  यदि आपने आरंभ में आपके बच्चे को सेवाएं दिए जाने पर सहमति दी थी और विद्यालय द्वारा सेवाएं देना आरंभ करने के बाद, सेवाओं को सतत रूप से प्रदान करने की अपनी सहमति बाद में लिखित में वापस ले ली थी, तो विद्यालय आपकी सहमति प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया का या सेवाएं जारी रखने के लिए सुनवाई अधिकारी से आदेश प्राप्त करने हेतु उचित प्रक्रिया कार्यविधियों का उपयोग नहीं कर सकता है।

  विद्यालय द्वारा आपके बच्चे के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के भाग के रूप में मौजूदा आँकड़ों की समीक्षा करने या सभी बच्चों को दिया जाने वाला कोई परीक्षण या अन्य मूल्यांकन देने से पहले आपकी सहमति आवश्यक नहीं है, बशर्ते सभी बच्चों के लिए पालक की सहमति आवश्यक न हो। विद्यालय किसी एक सेवा या गतिविधि पर आप द्वारा सहमति देने से किए गए इनकार का उपयोग आप या आपके बच्चे को कोई अन्य सेवा, लाभ या गतिविधि देने से इनकार करने के लिए नहीं कर सकता है।

■ स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन

यदि आप विद्यालय द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन से असहमत हैं, तो आपके पास यह अनुरोध करने का अधिकार है कि आपके बच्चे का मूल्यांकन, जनता के व्यय पर, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो विद्यालय के लिए कार्य नहीं करता है। *जनता के व्यय* का अर्थ है कि या तो विद्यालय मूल्यांकन की पूरी लागत का भुगतान करेगा या यह सुनिश्चित करेगा कि अन्यथा रूप से वह मूल्यांकन आपको निःशुल्क प्रदान किया जाए। *स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन* **(आई.ई.ई.)** किसी ऐसे योग्य व्यक्ति द्वारा संचालित मूल्यांकन है जो विद्यालय द्वारा नियुक्त नहीं है। जब आप आई.ई.ई. की मांग करते हैं, तो विद्यालय को अपने मूल्यांकन मानदंडों के बारे में तथा आई.ई.ई. कहां से प्राप्त किया जाए इस बारे में जानकारी अवश्य देनी होगी।

विद्यालय आपसे यह पूछ सकता है कि आप उसके मूल्याकंन से असहमत क्यों है, पर विद्यालय आपके लिए आपकी असहमति का स्पष्टीकरण देना आवश्यक करके आई.ई.ई. में अनुचित विलंब या उससे इनकार नहीं कर सकता है।

आप विद्यालय द्वारा संचालित हर उस मूल्यांकन, जिससे आप असहमत हैं, के होने पर जनता के व्यय पर केवल एक बार आई.ई.ई. के लिए पात्र हैं। यदि आप विद्यालय से

- **आई.ई.ई. मानदंड** — यदि कोई आई.ई.ई. जनता के व्यय पर है, तो जिस मानदंड के तहत मूल्यांकन प्राप्त किया गया है उसे, विद्यालय द्वारा आरंभ किए गए मूल्यांकन के समय पर विद्यालय द्वारा प्रयुक्त मानदंड के समान होना चाहिए (उस सीमा तक जहां वे मानदंड आई.ई.ई. के आपके अधिकार के साथ सुसंगत हों) और इस मानदंड में मूल्यांकन का स्थान और परीक्षक की योग्यताएं भी शामिल हैं।

  ऊपर वर्णित मानदंड को छोड़ कर, विद्यालय जनता के व्यय पर आई.ई.ई. प्राप्त करने के संबंध में शर्तें या समय-सीमाएं नहीं लगा सकता है।

- **सुनवाई अधिकारी द्वारा निर्धारण** — यदि विद्यालय उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करता है और सुनवाई अधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि विद्यालय का मूल्यांकन उपयुक्त है अथवा यह कि आपने जो आई.ई.ई. प्राप्त किया है वह विद्यालय के मानदंड की पूर्ति नहीं करता है, तो विद्यालय को आई.ई.ई. हेतु भुगतान नहीं करना होगा।
- **निजी व्यय पर आई.ई.ई.** — आपके पास हमेशा ही अपने स्वयं के व्यय पर आई.ई.ई. प्राप्त करने का अधिकार है। भले ही आई.ई.ई. के लिए भुगतान कोई भी करे, यदि वह विद्यालय के मानदंड की पूर्ति करता है तो विद्यालय को आपके बच्चे को एफ़.ए.पी.ई. प्रदान करने से संबंधित हर निर्णय में आई.ई.ई. को विचार में अवश्य लेना होगा। आप उचित प्रक्रिया सुनवाई में आई.ई.ई. को प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **सुनवाई अधिकारी द्वारा आदेशित आई.ई.ई.** — यदि कोई सुनवाई अधिकारी उचित प्रक्रिया सुनवाई के भाग के रूप में आई.ई.ई. का आदेश देता है तो विद्यालय को उसका भुगतान करना होगा।

■ अनुशासनिक कार्यविधियां

यदि आपका बच्चा विद्यालय की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, और यदि विद्यालय आपके बच्चे के वर्तमान स्थापन से हटाता है और यह हटाया जाना *स्थापन में परिवर्तन (नीचे* **स्थापन में परिवर्तन** देखें) प्रक्रिया गठित करता है तो विद्यालय को कुछ अनुशासनिक कार्यविधियों का पालन करना होगा।

- **एक बार में 10 या कम विद्यालयी दिनों के लिए हटाना** — यदि आपका बच्चा विद्यालय की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो विद्यालय आपके बच्चे को उसके वर्तमान स्थापन से एक विद्यालयी वर्ष में 10 या कम विद्यालयी दिनों के लिए हटा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह निःशक्तता से मुक्त बच्चों को अनुशासित करते समय करता है। विद्यालय के लिए इन अल्पकाल के लिए हटाए जाने की अवधियों के दौरान शैक्षिक सेवाएं देना आवश्यक नहीं है बशर्ते वे निःशक्तता मुक्त बच्चों को भी न दी जाती हों। यदि विद्यालय आपके बच्चे को निलंबित करने का विकल्प चुनता है तो राज्य कानून के तहत निलंबन तीन विद्यालयी दिनों से अधिक नहीं हो सकता है।

  यदि आपके बच्चे को उसके वर्तमान स्थापन से एक विद्यालयी वर्ष में 10 विद्यालयी दिनों के लिए हटाया जाता है, तो आपके बच्चे के पास बाद के हटाए जाने वाले दिनों में अतिरिक्त अधिकार हैं। यदि बाद में हटाया जाना लगातर 10 विद्यालयी दिनों से अधिक नहीं है और स्थापन में परिवर्तन न हो (नीचे **स्थापन में परिवर्तन** देखें), तो विद्यालय कार्मिकों को, आपके बच्चे के कम-से-कम एक अध्यापक के साथ परामर्श करके, यह निर्धारण करना होगा कि सेवाओं की आवश्यकता किस सीमा तक है ताकि आपके बच्चे को सामान्य शिक्षा पाठ्यचर्या में भाग लेना, हालांकि एक अन्य व्यवस्था में, जारी रखने में और बच्चे के आई.ई.पी. में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में प्रगति करने में सक्षम बनाया जा सके।

- **स्थापन में परिवर्तन** — यदि बच्चे को 10 से अधिक क्रमागत (लगातार) विद्यालयी दिनों तक हटाया गया हो या 10 से अधिक विद्यालयी दिनों के योग वाली, कम समय के लिए हटाए जाने की अवधियों की शृंखला का पैटर्न बने, तो इसे आपके बच्चे के स्थापन में परिवर्तन माना जाएगा। हटाए जाने की अवधियों का पैटर्न बना है या नहीं इसका निर्णय लेते समय विद्यालय को अग्रांकित बिंदु विचार में अवश्य लेने होंगे: बच्चे का व्यवहार उन पिछली घटनाओं में बच्चे के व्यवहार से उल्लेखनीय समानता रखता है या नहीं जो हटाए जाने की अवधियों की शृंखला का कारण बनी थीं, और कुछ कारक जैसे हटाए जाने की प्रत्येक अवधि की लंबाई, बच्चे को कुल कितने समय तक के लिए हटाया गया है, और हटाए जाने की अवधियां एक-दूसरे के कितने पास हैं। हटाए जाने की अवधियों का पैटर्न, स्थापन में परिवर्तन का गठन करता है या नहीं इसका निर्धारण मामला-दर-मामला आधार पर विद्यालय द्वारा किया जाता है, और यदि इसे चुनौती दी जाए तो, यह उचित प्रक्रिया एवं न्यायिक कार्यवाहियों के माध्यम से समीक्षा के अधीन आता है।

  आचार संहिता के उल्लंघन के कारण आपके बच्चे के स्थापन में परिवर्तन करने का निर्णय जिस तिथि को लिया गया था उसी तिथि पर, विद्यालय को आपको उस निर्णय की सूचना देनी होगी और आपको यह कार्यविधिक रक्षोपायों की सूचना प्रदान करनी होगी।

आचार संहिता के उल्लंघन के कारण आपके बच्चे के स्थापन में परिवर्तन करने के किसी भी निर्णय के 10 विद्यालयी दिनों के अंदर, विद्यालय को, आपको और ए.आर.डी. के प्रासंगिक सदस्यों (आप और विद्यालय द्वारा यथा निर्धारित) को *प्रकटीकरण निर्धारण समीक्षा* **(मेनिफ़ेस्टेशन डिटरमिनेशन रीव्यू, एम.डी.आर.)** संचालित करनी होगी।

एम.डी.आर. संचालित करते समय सदस्यों को आपके बच्चे की फ़ाइल में मौजूद समस्त प्रासंगिक जानकारियों की समीक्षा करनी होगी। इन प्रासंगिक जानकारियों में बच्चे का आई.ई.पी., अध्यापक द्वारा जो भी प्रेक्षण किए गए हों, और आपके द्वारा जो भी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की गई हो वे शामिल हैं। सदस्य यह निर्धारण करेंगे कि क्या आपके बच्चे का आचरण, आपके बच्चे के आई.ई.पी. का कार्यान्वयन करने में विद्यालय की विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम था, अथवा क्या आपके बच्चे के आचरण का कारण आपके बच्चे की निःशक्तता थी अथवा क्या आपके बच्चे के आचरण का उसकी निःशक्तता से सीधा और महत्वपूर्ण संबंध था। यदि सदस्य यह निर्धारित करते हैं कि इनमें से कोई भी स्थिति लागू होती है, तो आपके बच्चे के आचरण को आपके बच्चे की निःशक्तता का प्रकटीकरण माना जाना चाहिए।

- **जब व्यवहार प्रकटीकरण हो —** यदि आपके बच्चे का आचरण, उसकी निःशक्तता का प्रकटीकरण है, तो ए.आर.डी. समिति को अग्रांकित कदम उठाने होंगे: *कार्यक्षमता एवं व्यवहार का आकलन* **(एफ़.बी.ए.)** संचालित करना, बशर्ते उसने ऐसा आकलन, स्थापन में परिवर्तन किए जाने का कारण बनने वाले व्यवहार से पहले भी संचालित किया हो, और आपके बच्चे के लिए *व्यवहारगत हस्तक्षेप योजना* **(बी.आई.पी.)** संचालित करना। जहां बी.आई.पी. पहले से विकसित की जा चुकी हो वहां ए.आर.डी. को बी.आई.पी. की समीक्षा करनी होगी और उसमें व्यवहार को ठीक करने हेतु यथा आवश्यक संशोधन करने होंगे। यदि आपके बच्चे का आचरण, आपके बच्चे के आई.ई.पी. के कार्यान्वयन में विद्यालय की विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम था, तो विद्यालय को उन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। अंत में, नीचे वर्णित विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर, ए.आर.डी. समिति को आपके बच्चे को उस स्थापन में लौटाना होगा जहां से उसे हटाया गया था, बशर्ते बी.आई.पी. में संशोधन के भाग के रूप में आप और विद्यालय स्थापन में परिवर्तन पर सहमत न हो गए हों।

- **विशेष परिस्थितियां —** आपके बच्चे का व्यवहार उसकी निःशक्तता का प्रकटीकरण होना निर्धारित हुआ है या नहीं इस तथ्य को मान दिए बिना, विद्यालय आपके बच्चे को अधिकतम 45 विद्यालयी दिनों के लिए हटा कर किसी *अनंतिम वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्था* **(इंटेरिम ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल सेटिंग, आई.ए.ई.एस.)** में डाल सकता है यदि आपका बच्चा: विद्यालय में, विद्यालय परिसर में, या विद्यालय के किसी कार्यक्रम/समारोह में कोई हथियार लेकर आया हो या अपने पास हथियार रखता हो; विद्यालय में, विद्यालय परिसर में, या विद्यालय के किसी कार्यक्रम/समारोह में होने के दौरान, जानबूझकर अवैध मादक-पदार्थ रखता हो या प्रयोग करता हो, या किसी नियंत्रित पदार्थ को बेचता हो या उसकी बिक्री का आग्रह करता हो; या उसने विद्यालय में, विद्यालय परिसर में या विद्यालय के किसी कार्यक्रम/समारोह में होने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट दी हो।

- **जब आपके बच्चे का व्यवहार, प्रकटीकरण नहीं है —** जब आपके बच्चे का व्यवहार उसकी निःशक्तता का प्रकटीकरण नहीं है, तो आपके बच्चे को निःशक्तता-मुक्त बच्चों के समान ढंग एवं समान अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है, बस अंतर इतना होगा कि आपके बच्चे को एफ़.ए.पी.ई. मिलनी जारी रहनी चाहिए।

- **वैकल्पिक व्यवस्था —** यदि आपके बच्चे को विशेष परिस्थितियों के कारण या फिर आपके बच्चे के व्यवहार के उसकी निःशक्तता का प्रकटीकरण नहीं होने के कारण उसके वर्तमान शैक्षिक स्थापन से हटाया जाता है, तो आई.ए.ई.एस. का निर्धारण आपके बच्चे की ए.आर.डी. समिति द्वारा किया जाना होगा। आपके बच्चे को वे शैक्षिक सेवाएं मिलती रहेंगी जो एफ़.ए.पी.ई. पाने के लिए आवश्यक हैं। यह आवश्यक है कि वे सेवाएं आपके बच्चे को सामान्य शिक्षा पाठ्यचर्या में भाग लेना, हालांकि एक अन्य व्यवस्था में, जारी रखने में और आई.ई.पी. में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में प्रगति करने में सक्षम बनाती हों। आपके बच्चे को, उपयुक्ततानुसार, एक एफ़.बी.ए., व्यवहारगत हस्तक्षेप सेवाएं और उस व्यवहार के पुनरावर्तन को रोकने के लिए तैयार किए गए संशोधन अवश्य मिलने चाहिए।

- **त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई —** यदि आप अनुशासनिक स्थापन या प्रकटीकरण के निर्धारण से संबंधित किसी निर्णय से असहमत हैं, तो आपके पास त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करने का अधिकार है। इसके अलावा, यदि विद्यालय का यह मानना हो कि आपके बच्चे को उसके वर्तमान स्थापन में बनाए रखने से आपके बच्चे या अन्य लोगों को चोट लगने की उल्लेखनीय संभावना हो सकती है, तो विद्यालय त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। सुनवाई का अनुरोध करने की तिथि के 20 विद्यालयी दिनों के अंदर सुनवाई हो जानी चाहिए। सुनवाई अधिकारी को सुनवाई के बाद 10 विद्यालयी दिनों के अंदर निर्धारण करना होगा। बशर्ते कि आप और विद्यालय अन्यथा सहमत न हों, आपके बच्चे को तब तक आई.ए.ई.एस. में रहना होगा जब तक कि सुनवाई अधिकारी कोई निर्धारण न कर दे, अथवा विद्यालय के आई.ए.ई.एस. की समय सीमा समाप्त न हो जाए (इनमें से जो भी पहले हो तब तक)।
  जब विद्यालय त्वरित उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करता है तो, यदि आपके बच्चे के आई.ई.पी. स्थापन को बनाए रखने से आपके बच्चे या अन्य को चोट लगने की उल्लेखनीय संभावना बन सकती हो तो सुनवाई अधिकारी अधिकतम 45 विद्यालयी दिनों के लिए किसी उपयुक्त आई.ए.ई.एस. में सतत स्थापन का आदेश दे सकता है। यदि आपके बच्चे के व्यवहार उसकी निःशक्तता का प्रकटीकरण हों तो भी सुनवाई अधिकारी आई.ए.ई.एस. स्थापन का आदेश दे सकता है। वैकल्पिक रूप से, सुनवाई अधिकारी आपके बच्चे को उस स्थापन में लौटाने का निर्णय कर सकता है जहां से उसे हटाया गया था।

- **अभी तक विशेष शिक्षा हेतु पात्र निर्धारित नहीं हुए बच्चों के लिए सुरक्षा —** यदि विद्यालय की जानकारी में यह बात थी कि अनुशासनिक काररवाई का कारण बनने वाले व्यवहार से पहले आपका बच्चा किसी निःशक्तता-पीड़ित बच्चे के साथ था, तो आपके बच्चे के पास वे सभी अधिकार और सुरक्षाएं हैं जो आई.डी.ई.ए. के तहत किसी निःशक्तता-पीड़ित बच्चे के पास होते हैं। यह माना जाएगा कि विद्यालय को पहले से जानकारी थी यदि: आपने किसी प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) या अध्यापक को लिखित रूप में अपनी यह चिंता व्यक्त की थी कि बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है; आपने आई.डी.ई.ए. के अनुसरण में बच्चे के मूल्यांकन का अनुरोध किया था; या बच्चे के किसी अध्यापक अथवा विद्यालय के किसी अन्य कार्मिक ने सीधे विशेष शिक्षा निदेशक या अन्य पर्यवेक्षी (सुपरवाइज़री) कार्मिक के समक्ष बच्चे द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के पैटर्न के बारे में विशिष्ट चिंताएं व्यक्त की थीं।

  यह माना जाएगा कि विद्यालय को पहले से जानकारी नहीं थी यदि: आपने किसी आई.डी.ई.ए. मूल्यांकन के लिए सहमति देने से इनकार किया हो; आपने अपने बच्चे के संबंध में आई.डी.ई.ए. सेवाओं से इनकार किया हो; या आपके बच्चे का मूल्यांकन किया जा चुका हो और उसे विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए अपात्र निर्धारित किया गया हो।
  यदि आपने आरंभ में सेवाओं के लिए अपनी सहमति दी थी, पर विद्यालय द्वारा सेवाएं प्रदान करना आरंभ करने के बाद, सेवाओं को लगातार प्रदान किए जाने की अपनी सहमति बाद में वापस ले ली थी, तो आपने आई.डी.ई.ए. सेवाओं से इनकार कर दिया है, और आपके बच्चे पर निःशक्तता-मुक्त बच्चों पर लागू किए जाने वाले अनुशासनिक उपाय लागू किए जा सकते हैं और वह आई.डी.ई.ए. सुरक्षाओं का पात्र नहीं है।

  यदि आप उस अवधि, जिसमें आपके बच्चे पर अनुशासनिक उपाय लागू किए गए हैं, के दौरान आरंभिक मूल्यांकन का अनुरोध करते हैं, तो मूल्यांकन त्वरित ढंग से संचालित किया जाना आवश्यक है। जब तक मूल्यांकन पूर्ण नहीं हो जाता तब तक, आपका बच्चा विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शैक्षिक स्थापन में रहेगा, इसमें शैक्षिक सेवाओं के बिना निलंबन या निष्कासन शामिल हो सकता है।

- **विधि प्रवर्तन एवं न्यायिक प्राधिकारियों को संप्रेषण (रिफ़रल) एवं उनके द्वारा काररवाई —** आई.डी.ई.ए. विद्यालय को निःशक्तता-पीड़ित बच्चे द्वारा किए गए अपराध की सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को देने से प्रतिबंधित नहीं करता है अथवा राज्य विधि प्रवर्तन एवं न्यायिक प्राधिकारियों को, निःशक्तता-पीड़ित बच्चे द्वारा किए गए अपराधों पर संघीय एवं राज्य कानूनों के लागू होने के संबंध में उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन से नहीं रोकता है।

यदि कोई विद्यालय निःशक्तता-पीड़ित बच्चे द्वारा किए गए किसी अपराध की सूचना देता है, तो विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के विशेष शिक्षा एवं अनुशासन संबंधी अभिलेख उन प्राधिकारियों द्वारा विचार किए जाने हेतु संप्रेषित कर दिए जाएं जिन्हें विद्यालय ने अपराध की सूचना दी है; हालांकि, ये अभिलेख केवल *परिवार शैक्षिक अधिकार एवं निजता अधिनियम (फ़ैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट)* (**एफ़.ई.आर.पी.ए.**) द्वारा अनुमत सीमा तक ही संप्रेषित किए जा सकते हैं।

■ शैक्षिक अभिलेख

शिक्षा अभिलेख यह वो अभिलेख हैं जो सीधे आपके बच्चे से संबंधित होते हैं और स्कूल द्वारा या स्कूल के लिए काम करने वाले पार्टी द्वारा बनाए जाते हैं, एफईआरपीए में विनिर्दिष्ट कुछ अपवादों और उसके ३४ कोड के संघीय नियमों (सीएफआर) भाग 99 के कार्यान्वयन नियमों के अधीन है।

- **पालकों को सूचना** — टी.ई.ए. को ऐसी सूचना (नोटिस) देनी होगी जो पालकों को व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी की गोपनीयता के बारे में पालकों को पूरी तरह सूचित करने के लिए पर्याप्त हो, इसमें शामिल हैं: राज्य में विभिन्न जनसंख्या समूहों की मूल भाषाओं में किस सीमा तक सूचना दी गई है इसका विवरण; उन बच्चों का विवरण जिन पर व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी कायम रखी गई है, किस-किस प्रकार की जानकारी मांगी गई है, जानकारी एकत्र करने में किन-किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें जानकारी एकत्र करने के स्रोत शामिल हैं, और जानकारी को किन उपयोगों में लाया जाएगा इन सभी का विवरण; व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी के भंडारण, तृतीय पक्षों के समक्ष प्रकटन, प्रतिधारण और विनाश के संबंध में प्रतिभागी एजेंसियों के लिए जिन नीतियों और कार्यविधियों का पालन करना आवश्यक है उनका सारांश; और इस जानकारी के संबंध में पालकों और बच्चों के सभी अधिकारों का विवरण, जिनमें 34 संघीय विनियम संहिता (कोड ऑफ़ फ़ेडरल रेगुलेशंस) (**सी.एफ़.आर.**) भाग 99 में एफ़.ई.आर.पी.ए. और उसके कार्यान्वयनकारी विनियमों के तहत उपस्थित अधिकार शामिल हैं।

  व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी में शामिल है: आपके बच्चे का नाम, पालक के रूप में आपका नाम या अन्य किसी परिजन का नाम; आपका पता; कोई व्यक्तिगत अभिज्ञापक/आइडेंटिफ़ायर (जैसे सामाजिक सुरक्षा संख्या); या ऐसे अभिलक्षणों की सूची जो समुचित निश्चितता के साथ आपके बच्चे की पहचान संभव बना दें।

  किसी भी प्रमुख चाइल्ड फ़ाइंड गतिविधि से पहले, विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता वाले बच्चों के स्थान का पता लगाने, उनकी पहचान करने एवं उनका मूल्यांकन करने की गतिविधि के बारे में पालकों को सूचित करने हेतु पर्याप्त प्रसार वाले समाचार-पत्रों या अन्य संचार माध्यमों में, या दोनों में, सूचना प्रकाशित या घोषित की जानी चाहिए।

- **रक्षोपाय एवं विनाश** — विद्यालय को संग्रहण, भंडारण, प्रकटन एवं विनाश के चरणों में आपके बच्चे के अभिलेखों की गोपनीयता की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। *शैक्षिक अभिलेखों* का अर्थ उन प्रकारों के अभिलेखों से है जिन्हें 34 सी.एफ़.आर. भाग 99 में शैक्षिक अभिलेखों की परिभाषा में शामिल किया गया है।

  विद्यालय को आपको यह सूचित करना होगा कि कब आपके बच्चे को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए उसके शैक्षिक अभिलेखों में मौजूद जानकारी की आवश्यकता खत्म हो गई है। आपके अनुरोध पर, नाम, पता, फोन नंबर, ग्रेड, उपस्थिति अभिलेख, बच्चे ने किन-किन कक्षाओं में भाग लिया, उसके द्वारा पूर्ण किया गया ग्रेड स्तर और पूर्ण करने का वर्ष छोड़ कर, जानकारी को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। *नष्ट करने* का अर्थ जानकारी को इस प्रकार भौतिक रूप से नष्ट कर देने या उसमें से व्यक्तिगत अभिज्ञापक (आइडेंटिफायर) हटा देने से है कि जानकारी फिर व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य न रहे।

- **प्रकार एवं स्थान** — आपके पास विद्यालय द्वारा एकत्रित, रखे गए या प्रयुक्त शैक्षिक अभिलेखों के प्रकारों एवं स्थानों की सूची का अनुरोध करने एवं वह सूची प्राप्त करने का अधिकार है।

- **पहुंच एवं समय-सीमाएं** — आपके पास विशेष शिक्षा से संबंधित भागों समेत, आपके बच्चे के संपूर्ण शिक्षा अभिलेख की समीक्षा का अधिकार है। विद्यालय यह मान सकता है कि आपके पास आपके बच्चे से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण और समीक्षा का अधिकार है, बशर्ते उसे यह सूचित न किया गया हो कि संरक्षकत्व, अलगाव एवं तलाक जैसे मामलों का नियंत्रण करने वाले लागू राज्य कानूनों के तहत आपके पास प्राधिकार नहीं है। आप किसी अन्य व्यक्ति को भी आपके बच्चे के अभिलेख की समीक्षा की अनुमति दे सकते हैं।

जब आप अभिलेखों की समीक्षा की मांग करेंगे, तो विद्यालय को अनुचित विलंब के बिना और किसी भी ए.आर.डी. समिति की बैठक या किसी उचित प्रक्रिया सुनवाई या समाधान सत्र से पहले, और हर हालत में अनुरोध की तिथि के बाद अधिकतम 45 कैलेंडर दिनों के अंदर उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

♦ **एक से अधिक बच्चे की जानकारी —**
यदि किसी शैक्षिक अभिलेख में एक से अधिक बच्चे की जानकारी है, तो आपके पास केवल आपके बच्चे से संबंधित जानकारी का निरीक्षण एवं समीक्षा करने का, या केवल उसी विशिष्ट जानकारी से अवगत कराए जाने का अधिकार है।

♦ **स्पष्टीकरण, प्रतियां एवं शुल्क —** यदि आप मांग करें, तो विद्यालय को समुचित सीमा तक, अभिलेखों की व्याख्या एवं विवेचना करनी होगी। यदि आपको अभिलेखों के निरीक्षण एवं उनकी समीक्षा में समर्थ बनाने का एकमात्र तरीका अभिलेखों की प्रतियां बनाना हो तो विद्यालय को ऐसा करना होगा। विद्यालय आपके बच्चे के बारे में किसी शैक्षिक अभिलेख को खोजने या उसे पुनःप्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं ले सकता है। हालांकि, वह प्रतिलिपि करने के लिए शुल्क ले सकता है, बशर्ते वह शुल्क आपको अभिलेखों का निरीक्षण और उनकी समीक्षा में समर्थ बनने से वंचित न करे।

♦ **अन्य द्वारा पहुंच —** एफ़.ई.आर.पी.ए. में विद्यालय के अधिकारियों समेत कुछ व्यक्तियों को आपकी सहमति के बिना आपके बच्चे के अभिलेख देखने की अनुमति दी गई है। अन्यथा, व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रकट करने से पहले आपकी सहमति ली जानी आवश्यक है।

परिवर्तन सेवाएं प्रदान करने या उनके लिए भुगतान करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी जारी करने से पहले, आपकी सहमति, या राज्य कानून के तहत वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके पात्र बच्चे की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आपका बच्चा किसी ऐसे निजी विद्यालय (प्राइवेट स्कूल) में जाता है या उसमें दाखिला लेने जा रहा है, जो आपके निवास वाली स्कूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित नहीं है, तो निजी विद्यालय वाली स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों एवं आपके निवास वाली स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के बीच आपके बच्चे के बारे में व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य कोई भी जानकारी जारी करने से पहले आपकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

विद्यालय को आपके बच्चे के विशेष शिक्षा अभिलेखों की समीक्षा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति (आप और प्राधिकृत विद्यालय अधिकारियों को छोड़ कर) की पंजी (लॉग) बना कर रखनी चाहिए, बशर्ते आपने प्रकटन के लिए सहमति न दी हो। इस पंजी में व्यक्ति का नाम, पहुंच प्रदान की जाने की तिथि तथा जिस उद्देश्य के लिए उस व्यक्ति को अभिलेखों के उपयोग के लिए प्राधिकृत किया गया है वह उद्देश्य शामिल होने चाहिए।

विद्यालय के किसी एक अधिकारी को किसी भी व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व धारण करना होगा। व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी एकत्र या प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को आई.डी.ई.ए. एवं एफ़.ई.आर.पी.ए. के तहत गोपनीयता के बारे में राज्य की नीतियों एवं कार्यविधियों के संबंध में प्रशिक्षण या निर्देश मिलने चाहिए। प्रत्येक विद्यालय को, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए, विद्यालय के उन कर्मचारियों के नाम व पदों की वर्तमान सूची कायम रखनी होगी जिनके पास व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य जानकारी तक पहुंच हो सकती है।

♦ **अभिलेखों में संशोधन करना—** यदि आपका मानना है कि आपके बच्चे के शैक्षिक अभिलेख अशुद्ध या भ्रामक हैं या वे आपके बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो आप विद्यालय से जानकारी में संशोधन की मांग कर सकते हैं। विद्यालय को उचित समय के अंदर यह निर्णय करना होगा कि जानकारी में संशोधन करना है या नहीं। यदि विद्यालय अनुरोध के अनुसार जानकारी में संशोधन करने से इनकार कर देता है, तो उसे आपको इस इनकार के बारे में और अभिलेखों में मौजूद जानकारी को चुनौती देने के लिए आपके सुनवाई के अधिकार के बारे में सूचित करना होगा। इस प्रकार की सुनवाई एफ़.ई.आर.पी.ए. के तहत एक स्थानीय सुनवाई होती है, न कि किसी निष्पक्ष सुनवाई अधिकारी के समक्ष आयोजित आई.डी.ए.ए. उचित प्रक्रिया सुनवाई।

यदि, सुनवाई के परिणामस्वरूप, विद्यालय यह निर्णय करे कि जानकारी अशुद्ध है, भ्रामक है या अन्यथा रूप से, आपके बच्चे के निजता के या अन्य अधिकारों के उल्लंघन में है, तो उसे जानकारी में परिवर्तन करना होगा और आपको लिखित सूचना देनी होगी।

यदि, सुनवाई के परिणामस्वरूप, विद्यालय यह निर्णय करे कि जानकारी अशुद्ध या भ्रामक नहीं है, अथवा अन्यथा रूप से, आपके बच्चे के निजता के या अन्य अधिकारों के उल्लंघन में नहीं है, तो यह आवश्यक है कि आपको यह सूचित किया जाए कि आपके पास यह अधिकार है कि आप, विद्यालय द्वारा अभिलेख या विवादास्पद अंश कायम रखे जाने तक, अपने बच्चे के अभिलेखों में मौजूद जानकारी पर टिप्पणी करने वाला एक वक्तव्य रख सकते हैं।

यदि विद्यालय द्वारा आरंभिक रूप से आपके बच्चे को विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने के बाद, आपके बच्चे द्वारा वे सेवाएं प्राप्त करने की अपनी सहमति वापस लेते हैं, तो विद्यालय के लिए आपके बच्चे की विशेष शिक्षा सेवाओं की पिछली प्राप्तियों के किसी भी संदर्भ को हटाने के लिए आपके बच्चे के शैक्षिक अभिलेखों में संशोधन करना आवश्यक नहीं है। हालांकि, आपके पास विद्यालय से यह मांग करने का अधिकार अभी भी होगा कि यदि आपके विश्वास में आपके बच्चे के अभिलेख अशुद्ध या भ्रामक हों या आपके बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन करते हों तो विद्यालय द्वारा उनमें संशोधन कर दिया जाए।

■ पालकों द्वारा स्वैच्छिक निजी विद्यालय स्थापन

अपने बच्चे को किसी निजी विद्यालय में स्वेच्छा से प्रवेश दिलाने पर आपके पास विशिष्ट अधिकार होते हैं। यदि जन विद्यालय (पब्लिक स्कूल) ने आपके बच्चे के लिए एफ़.ए.पी.ई. उपलब्ध कराई थी और आपने बच्चे को किसी निजी विद्यालय या सुविधा केंद्र में रखने का विकल्प चुना था तो इस स्थिति में आई.डी.ई.ए. उस जन विद्यालय (पब्लिक स्कूल) के लिए यह आवश्यक नहीं करता है कि वह, किसी निजी विद्यालय या सुविधा केंद्र में आपके निःशक्तता-पीड़ित बच्चे के लिए विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाओं समेत उसकी शिक्षा की लागतों का भुगतान करे। हालांकि, जहां निजी विद्यालय स्थित है वहां के जन विद्यालय (पब्लिक स्कूल) को आपके बच्चे को उस जनसंख्या में शामिल करना होगा जिनकी आवश्यकताएं, अपने पालकों द्वारा किसी निजी विद्यालय में रखे गए बच्चों से संबंधित आई.डी.ई.ए. प्रावधानों के तहत पूरी की जा रही हैं।

■ एफ़.ए.पी.ई. पर मतभेद होने पर पालकों द्वारा निजी विद्यालय में स्थापन

जब आप अपने बच्चे लिए उपयुक्त कार्यक्रम की उपलब्धता के संबंध में जन विद्यालय (पब्लिक स्कूल) से असहमत होने के कारण अपने बच्चे को किसी निजी विद्यालय में रखते हैं तो आपके पास विशिष्ट अधिकार होते हैं।

यदि आपके बच्चे को पूर्व में किसी जन विद्यालय (पब्लिक स्कूल) के प्राधिकार के तहत विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाएं मिली थीं, और आपने जन विद्यालय की सहमति के बिना या उसके द्वारा संप्रेषण किए जाने के बिना ही अपने बच्चे को किसी निजी प्री-स्कूल, प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में नामांकित करने का विकल्प चुना है, तो न्यायालय या सुनवाई अधिकारी जन विद्यालय के लिए आपको उस नामांकन की लागत की प्रतिपूर्ति देना आवश्यक कर सकता है, बशर्ते न्यायालय या सुनवाई अधिकारी यह पाए कि जन विद्यालय ने उस नामांकन से पहले आपके बच्चे के लिए समयबद्ध ढंग से एफ़.ए.पी.ई. उपलब्ध नहीं कराई थी और यह कि निजी स्थापन उपयुक्त है। यदि आपका स्थापन टी.ई.ए. एवं विद्यालयों द्वारा प्रदत्त शिक्षा पर लागू होने वाले राज्य मानकों की पूर्ति नहीं करता तो भी सुनवाई अधिकारी या न्यायालय की दृष्टि में वह उपयुक्त हो सकता है।

- **प्रतिपूर्ति पर सीमा** — ऊपर दिए गए अनुच्छेद में वर्णित प्रतिपूर्ति की लागत को घटाया अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है यदि: जन विद्यालय से आपके बच्चे को हटाए जाने से पहले जिस सबसे हाल की ए.आर.डी. समिति की बैठक में आपने भाग लिया था उसमें आपने ए.आर.डी. को सूचित नहीं किया हो कि आप आपके बच्चे को एफ.ए.पी.ई. दिए जाने के लिए जन विद्यालय द्वारा प्रस्तावित स्थापन को अस्वीकार कर रहे हैं, इसमें अपनी चिंताओं और जनता के व्यय पर अपने बच्चे को किसी निजी विद्यालय में नामांकित कराने के अपने इरादे को व्यक्त करना शामिल है; अथवा जन विद्यालय से आपके बच्चे को हटाए जाने से, कम-से-कम 10 व्यापारिक दिनों, जिनमें व्यापारिक दिनों पर पड़ने वाली छुट्टियां शामिल हैं, पहले आपने जन विद्यालय को उस जानकारी की लिखित सूचना नहीं दी थी; अथवा, जन विद्यालय से आपके बच्चे को हटाए जाने से पहले, जन विद्यालय ने आपके बच्चे का मूल्यांकन करने के अपने इरादे की अग्रिम लिखित सूचना आपको प्रदान की थी, जिसमें मूल्यांकन के उद्देश्य का वक्तव्य शामिल है जो उपयुक्त एवं उचित था, परंतु आपने मूल्यांकन के लिए बच्चे को उपलब्ध नहीं किया; अथवा कोई न्यायालय यह पाता है कि आपके कार्य/कदम अनुचित थे।

  हालांकि, प्रतिपूर्ति की लागत को सूचना प्रदान करने में विफलता के कारण घटाया नहीं जाना चाहिए या अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए यदि: जन विद्यालय ने आपको सूचना प्रदान करने से रोका था; आपको ऊपर वर्णित सूचना प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्व की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी; अथवा ऊपर बताई गईं आवश्यकताओं के अनुपालन का परिणाम आपके बच्चे को शारीरिक हानि के रूप में मिलने की संभावना हो।

न्यायालय या सुनवाई अधिकारी के विवेकाधीन, प्रतिपूर्ति की लागत को अपेक्षित सूचना प्रदान करने में आपकी विफलता के कारण घटाया नहीं जा सकता है या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है बशर्ते आप साक्षर नहीं हों या अंग्रेज़ी में नहीं लिख सकते हो, या ऊपर बताई गई आवश्यकता के अनुपालन का परिणाम आपके बच्चे को गंभीर भावनात्मक हानि के रूप में मिलने की संभावना हो।

■ अभिभावकीय अधिकारों का हस्तांतरण

बच्चे के वयस्कता की आयु प्राप्त करते ही सारे अभिभावकीय अधिकार बच्चे को हस्तांतरित हो जाते हैं। टेक्सास के कानून के तहत वयस्कता की आयु 18 वर्ष है। अधिकांश बच्चों के लिए, इस दस्तावेज़ में पालकों के जिन अधिकारों की चर्चा की गई है वे सभी, बच्चा 18 वर्ष का हो जाने पर उसे हस्तांतरित हो जाएंगे। जब पालकों के अधिकार किसी वयस्क विद्यार्थी को हस्तांतरित हो जाते हैं, उसके पास शैक्षिक निर्णय लेने के अधिकार हैं, यद्यपि पब्लिक स्कूल को अभी भी आपको ए.आर.डी. समिति की बैठकों की सूचनाएं और अग्रिम लिखित सूचनाएं प्रदान करनी होंगी। हालांकि आप बैठकों में तब तक भाग नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपको वयस्क विद्यार्थी या विद्यालय द्वारा विशिष्ट रूप से आमंत्रित न किया जाए। या जब तक कि आपका प्रौढ छात्र आपको एक समर्थित निर्णय लेने वाले समझौते में हक ना दें|

- ♦ **किसी वयस्क विद्यार्थी के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक** — यदि किसी न्यायालय ने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को वयस्क विद्यार्थी के कानूनी संरक्षक के रूप में नियुक्त किया है, तो आई.डी.ई.ए. के तहत जो अधिकार हैं वे वयस्क विद्यार्थी को हस्तांतरित नहीं होंगे। कानूनी रूप से नियुक्त संरक्षक को अधिकार प्राप्त होंगे।

♦ **कैदी वयस्क विद्यार्थी**— यदि वयस्क विद्यार्थी जेल में कैद है तो सभी आई.डी.ई.ए. अधिकार 18 वर्ष की आयु पर वयस्क विद्यार्थी को हस्तांतरित हो जाएंगे। विशेष शिक्षा से संबंधित अग्रिम लिखित सूचनाएं पाने का अधिकार आपके पास नहीं रहेगा।

- ♦ **18 वर्ष से कम आयु के वयस्क विद्यार्थी** — टेक्सास परिवार संहिता के अध्याय 31 में वर्णित कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें बच्चा 18 वर्ष की आयु से पहले ही वयस्क मान लिया जाता है। यदि इस अध्याय के तहत आपके बच्चे को वयस्क माना गया है, तो उसी समय आई.डी.ई.ए. के तहत मिलने वाले अधिकार आपके बच्चे को हस्तांतरित हो जाएंगे।

- ♦ **प्रतिपालकत्व के विकल्प:**

  आपके वयस्क छात्र द्वारा क्रियान्वित किसी मुख्तारनामे या किसी वैध निर्णयात्मक करार को पब्लिक स्कूल द्वारा मानना होगा।

- ♦ **अपेक्षित अधिसूचना और जानकारी:**

अपने बच्चे के 17 वें जन्मदिन पर या उससे पहले, पब्लिक स्कूल को आपको और आपके बच्चे को अभिभावकीय अधिकारों के हस्तांतरण का वर्णन करने वाली लिखित अधिसूचना प्रदान करनी होगी जिसमें प्रतिपालकत्व के बारे में और विकल्प के बारे में जानकारी शामिल होगी और जिसमें निर्णय लेने के फैसले शामिल हैं, और अन्य सहायता और सेवाएं जो आपके बच्चे को स्वतंत्र रूप से जीने में सहायता कर सकती हैं। 2018-2019 विद्यालय वर्ष से आरंभ करके आपके बच्चे के आई.ई.पी. को बताना होगा कि पब्लिक स्कूल ने यह जानकारी प्रदान की थी।

आपके बच्चे के 18वें जन्मदिन पर, पब्लिक स्कूल को आपको और आपके बच्चे को लिखित सूचना प्रदान करनी होगी कि अभिभावकीय अधिकार वयस्क छात्र को हस्तांतरित हो गए। 2018-2019 विद्यालय वर्ष से इस लिखित सूचना में प्रतिपालकत्व और प्रतिपालकत्व के विकल्पों के बारे में जानकारी और संसाधन शामिल होंगे जिसमें सहायक निर्णयात्मक करार और अन्य सहायता और सेवाएँ जो आपके बच्चे को स्वतंत्र रूप से जीने में सहायता कर सकती हैं, शामिल होंगी। लिखित सूचना में अतिरिक्त जानकारी चाहने में प्रयुक्त संपर्क जानकारी भी शामिल करनी होगी।

■ प्रतिपालक पालक (सरोगेट माता/पिता)

- ♦ **सामान्य आवश्यकताएं** — इस दस्तावेज़ में वर्णित अधिकार निःशक्तताओं से पीड़ित बच्चों के पालकों से संबंध रखते हैं। यदि, समुचित प्रयास के बाद, विद्यालय किसी बच्चे के पालक की पहचान या खोज न कर पाए, अथवा बच्चा राज्य के संरक्षण के अधीन हो, तो विद्यालय को एक स्थानापन्न पालक (सरोगेट माता/पिता) समनुदेशित करना होगा जो बच्चे के पालक के स्थान पर कार्य करेगा, बशर्ते बच्चा राज्य के संरक्षण के अधीन न हो और किसी न्यायालय ने कोई स्थानापन्न पालक नियुक्त न किया हो। मैककिनी-वेंटो बेघर सहायता अधिनियम में परिभाषित किए गए अनसार. विद्यालय को अकेले

■ असहमतियों का समाधान करना

ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब आप आपके बच्चे की विशेष शिक्षा सेवाओं के संबंध में विद्यालय द्वारा किए गए कार्यों/उठाए गए कदमों से असहमत हों। आपको प्रबल रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि आप मतभेद उत्पन्न होते ही उन्हें हल करने के लिए विद्यालय के कार्मिकों के साथ कार्य करें। आप विद्यालय से इस बारे में पूछ सकते हैं कि वह पालकों के लिए कौन से विवाद समाधान विकल्प पेश करता है। विशेष शिक्षा संबंधी असहमतियों का समाधान करने के लिए टी.ई.ए.चार औपचारिक विकल्प प्रदान करता हैं: राज्य आई.ई.पी. सुगमीकरण, मध्यस्थता सेवाएं, विशेष शिक्षा शिकायत समाधान प्रक्रिया और उचित प्रक्रिया सुनवाई कार्यक्रम।

■ विशेष शिक्षा संबंधी जानकारी

यदि आपको विशेष शिक्षा संबंधी मुद्दों पर जानकारी चाहिए हो, तो आप 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) पर विशेष शिक्षा जानकारी केंद्र को कॉल कर सकते हैं। यदि आप इस नंबर पर कॉल करके कोई संदेश छोड़ते हैं, तो कोई न कोई व्यक्ति सामान्य व्यापारिक घंटों के दौरान आपको वापस कॉल करेगा। बधिर या सुनने में कठिनाई वाले व्यक्ति 7-1-1 पर रिले टेक्सास का उपयोग करते हुए ऊपर दिए गए वॉइस नंबर को कॉल कर सकते हैं।

■ राज्य आई.ई.पी. सुगमीकरण

वर्ष 2013 में पारित एक राज्य कानून द्वारा टी.ई.ए. के लिए यह आवश्यक किया गया है कि निःशक्तता से पीड़ित किसी विद्यार्थी को एफ़.ए.पी.ई. प्रदान करने से संबंधित निर्णयों के बारे में जो पक्ष विवाद में हैं उनके साथ ए.आर.डी. समिति बैठक को सुगम बनाने के लिए स्वतंत्र आई.ई.पी. सुकारक (फ़ेसिलिटेटर) प्रदान करने हेतु वह एक राज्य आई.ई.पी. सुगमीकरण परियोजना स्थापित करे।

टी.ई.ए. स्वतंत्र सुगमकारक प्रदान करे इसके लिए निम्नांकित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है:

- ▶ आवश्यक अनुरोध प्रपत्र आप और विद्यालय, दोनों के द्वारा पूर्ण एवं हस्ताक्षरित किया गया होना चाहिए।
- ▶ विवाद किसी ऐसी ए.आर.डी. समिति बैठक से जुड़ा होना चाहिए जिसमें आई.ई.पी. के एक या अधिक आवश्यक घटकों के बारे में परस्पर सहमति नहीं बन पाई थी एवं ए.आर.डी. समिति ने अवकाश लेते हुए बैठक पुनः आहूत करने पर सहमति दे दी थी।
- ▶ आप और विद्यालय के द्वारा, असहमति पर समाप्त हुई ए.आर.डी. बैठक के पाँच कैलेंडर दिनों के अंदर आवश्यक अनुरोध प्रपत्र दर्ज करा दिया जाना, एवं बैठक पुनः आहूत करने हेतु तय की गई तिथि पर किसी सुकारक का उपलब्ध होना आवश्यक है।
- ▶ विवाद किसी प्रकटीकरण निर्धारण या किसी आई.ए.ई.एस. निर्धारण से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
- ▶ आप एवं विद्यालय को किसी विशेष शिक्षा मध्यस्थता में समवर्ती रूप से (उसी समय साथ-साथ) शामिल नहीं होना चाहिए।
- ▶ विवादाधीन मुद्दों को किसी विशेष शिक्षा शिकायत या किसी विशेष शिक्षा उचित प्रक्रिया सुनवाई का विषय या उनके अधीन नहीं होना चाहिए।
- ▶ आप और विद्यालय द्वारा, आई.ई.पी. सुगमीकरण का वर्तमान अनुरोध दर्ज किए जाने वाले विद्यालयी वर्ष में ही उसी बच्चे के संबंध में किसी आई.ई.पी. सुगमीकरण में भाग नहीं लिया गया होना चाहिए।

आवश्यक अनुरोध प्रपत्र अग्रांकित पते पर अंग्रेज़ी व स्पेनिश भाषा में उपलब्ध है : http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Special_Education/Programs_and_Services/Individualized_Education_Program_Facilitation/. प्रपत्र टी.ई.ए. से अनुरोध पर भी उपलब्ध है। टी.ई.ए. का संपर्क विवरण इस दस्तावेज़ के अंत में दिया गया है।

■ मध्यस्थता सेवाएं

मध्यस्थता उन उपलब्ध विकल्पों में से एक है जिनका उपयोग किसी बच्चे की पहचान करने, उसका मूल्यांकन करने, शैक्षिक स्थापन करने एवं एफ़.ए.पी.ई. से संबंधित असहमतियों का समाधान करने के लिए किया जाता है। यदि आप और विद्यालय, दोनों मध्यस्थता में भाग लेने पर सहमत हों, तो टी.ई.ए. मध्यस्थता की व्यवस्थाएं करेगा एवं उसके लिए भुगतान करेगा।

आपके लिए उचित प्रक्रिया सुनवाई को या आई.डी.ई.ए. के तहत मिलने वाले अन्य किसी अधिकार को लंबित या अस्वीकृत करने के लिए मध्यस्थता का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

आप मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में टी.ई.ए. की वेबसाइट http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087 पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

■ विशेष शिक्षा शिकायत समाधान प्रक्रिया

विशेष शिक्षा संबंधी विवादों के हल के लिए एक और विकल्प है टी.ई.ए. की विशेष शिक्षा शिकायत समाधान प्रक्रिया। यदि आपका यह मानना हो कि किसी सार्वजनिक एजेंसी ने विशेष शिक्षा की किसी आवश्यकता का उल्लंघन किया है, तो आप इस दस्तावेज़ के अंत में दिए गए पते पर टी.ई.ए. को लिखित शिकायत भेज सकते हैं। आपको अपनी शिकायत उस संस्था को भी भेजनी होगी जिसके विरुद्ध आपने शिकायत दर्ज़ कराई है। कोई भी संगठन या व्यक्ति टी.ई.ए. के पास शिकायत कर सकता है। शिकायत समयरेखा की शुरुआत उस दिन के अगले कारोबारी दिन होगी जब टी. ई. ए. शिकायत प्राप्त करती है।

आपकी लिखित शिकायत में उस उल्लंघन का वर्णन होना चाहिए जो शिकायत दर्ज़ करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक पहले प्राप्त न हुआ हो। शिकायत में अग्रांकित शामिल होने आवश्यक हैं: एक वक्तव्य कि सार्वजनिक एजेंसी ने विशेष शिक्षा से संबंधित आवश्यकता का उल्लंघन किया है; वे तथ्य जिन पर वक्तव्य आधारित है; आपका हस्ताक्षर एवं संपर्क जानकारी; उस समय आपको ज्ञात एवं आपके लिए उपलब्ध सीमा तक, समस्या का प्रस्तावित समाधान; और, यदि शिकायत किसी विशिष्ट बच्चे से संबंध रखती हो तो उस बच्चे का नाम व पता अथवा यदि बच्चा बेघर हो तो उपलब्ध संपर्क जानकारी, और बच्चे के विद्यालय का नाम।

टी.ई.ए. आपको अतिरिक्त जानकारी जमा करने या स्वैच्छिक मध्यस्थता में भाग लेने का अवसर देगा। टी.ई.ए. सार्वजनिक एजेंसी को भी शिकायत का उत्तर देने का अवसर तथा शिकायत के समाधान हेतु प्रस्ताव जमा करने का अवसर देगा।

आपकी लिखित शिकायत प्राप्त होने के 60 कैलेंडर दिनों के अंदर, बशर्ते विशेष परिस्थितियों के कारण या पक्षों के सहमत होने पर यह समय सीमा विस्तारित न हो, टी.ई.ए. एक जांच संचालित करेगा, जिसमें, यदि आवश्यक हुई तो, स्थल-पर जांच भी शामिल होगी। टी.ई.ए. सभी प्रासंगिक जानकारियों की समीक्षा करेगा और यह निर्धारित करेगा कि सार्वजनिक एजेंसी ने विशेष शिक्षा संबंधी आवश्यकता का उल्लंघन किया है या नहीं। आपको प्रत्येक आरोप को संबोधित करने वाला एक लिखित निर्णय दिया जाएगा जिसमें जांच से प्राप्त तथ्य, निष्कर्ष एवं टी.ई.ए. के निर्णय के कारण शामिल होंगे।

यदि टी.ई.ए. यह निर्धारित करता है कि सार्वजनिक एजेंसी ने विशेष शिक्षा की आवश्यकता का उल्लंघन किया है, तो वह सार्वजनिक एजेंसी के लिए ज्ञात हुए उल्लंघन को समाप्त करने हेतु उपयुक्त कदम उठाना आवश्यक करेगा, इन कदमों में तकनीकी सहायता गतिविधियों में संलग्न होना, समझौता वार्ताएं और सुधारात्मक कारस्वाइयां शामिल हैं। सुधारात्मक कारस्वाइयों में, किसी विशिष्ट बच्चे या बच्चों के समूह को पहले प्रदान नहीं की गईं सेवाओं की क्षतिपूर्ति करने के लिए सेवाएं प्रदान करना और निःशक्तता-पीड़ित सभी बच्चों के लिए सेवाओं का उपयुक्त भावी प्रावधान करना शामिल हो सकता है। आपकी शिकायत के संबंध में टी.ई.ए. के निर्णय अंतिम हैं और उनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। हालांकि, शिकायत दर्ज करने से आप मध्यस्थता या किसी उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करने के अपने अधिकार से वंचित नहीं होते हैं।

यदि आप कोई शिकायत दर्ज करते हैं और उन्हीं मुद्दों के बारे में किसी उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करते हैं, तो सुनवाई पूरी हो जाने तक टी.ई.ए. को शिकायत में उपस्थित वे मुद्दे अलग रख देने होंगे जिन्हें उचित प्रक्रिया सुनवाई में संबोधित किया जा रहा है। शिकायत में उपस्थित ऐसा कोई भी मुद्दा, जो उचित प्रक्रिया सुनवाई का भाग नहीं है, उसे इस दस्तावेज़ में वर्णित समय-सीमाओं के अंदर और कार्यविधियों के अनुसार हल किया जाएगा। यदि शिकायत में उठाए गए किसी मुद्दे पर, उन्हीं समान पक्षों को शामिल करने वाली उचित प्रक्रिया सुनवाई में कोई निर्णय हो जाता है तो सुनवाई वाला निर्णय, उस मुद्दे पर बाध्यकारी होगा।

आप शिकायत प्रक्रिया और शिकायत अन्वेषण प्रपत्र के बारे में टी.ई.ए. की वेबसाइट http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147497560#Complaint_Resolution पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

■ उचित प्रक्रिया सुनवाई कार्यक्रम

विशेष शिक्षा संबंधी विवादों को सुलझाने का चौथा विकल्प है उचित प्रक्रिया सुनवाई कार्यक्रम। उचित प्रक्रिया सुनवाई में, एक निष्पक्ष सुनवाई अधिकारी पक्षों के प्रमाणों को सुनता है और कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय देता है।

आपके पास आपके बच्चे की पहचान करने, उसका मूल्यांकन करने या शैक्षिक स्थापन करने, या आपके बच्चे को एफ़.ए.पी.ई. प्रदान किए जाने से संबंधित किसी भी मामले पर उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करने का अधिकार है। यदि उचित प्रक्रिया शिकायत में जन विद्यालय में आरंभिक प्रवेश का आवेदन शामिल हो, तो आपके बच्चे को, आपकी सहमति के साथ, तब तक नियमित जन विद्यालय कार्यक्रम में रखा जाना आवश्यक होगा जब तक कि सुनवाई पूरी न हो जाए।

जिस तिथि पर आपको सुनवाई के अनुरोध का आधार बनने वाले कथित कार्य की जानकारी हुई या होनी चाहिए उस तिथि के एक वर्ष के अंदर आपको उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करना होगा । यह एक साल की समयरेखा को सीमाओं का एक क़ानून भी कहा जाता है। यदि विद्यालय द्वारा की गई यह विशिष्ट गलतबयानी, कि उसने समस्या का समाधान कर दिया है, के कारण या फिर, आपको जो जानकारी दी जानी आवश्यक थी विद्यालय द्वारा वह जानकारी रोक लिए जाने के कारण, आप सुनवाई का अनुरोध नहीं कर सके थे तो यह समय-सीमा आप पर लागू नहीं होगी। कुछ परिस्थितियों में, सीमाओं का एक वर्षीय क़ानून एक उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करने के लिए हो सकता है या रद्द किया जा सकता है- यदि आप सशस्त्र बलों के एक सक्रिय कर्तव्य सदस्य हैं, राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन के कमीशन कोर, या संयुक्त राज्य जन स्वास्थ्य सेवा की कमीशन की कोर, और यदि संघीय कानून की सीमाओं के प्रावधान, जिसे सेवा सदस्य नागरिक राहत अधिनियम के रूप में जाना जाता है तो आप पर लागू होते हैं|

इससे पहले कि आप ऊपर सूचीबद्ध में से किसी भी मामले के लिए न्यायालय में विद्यालय पर मुकदमा दायर करें, आपको उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध अवश्य करना होगा। यदि आपने उचित प्रक्रिया सुनवाई में भाग नहीं लिया है तो न्यायालय में आपके दावे खारिज किए जा सकते हैं।

- **उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करना —** सुनवाई का अनुरोध करने के लिए, आप या आपका प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए एक लिखित अनुरोध के अंत में दिए गए पते पर टी.ई.ओ. को भेजनी होगी।

  उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करने का प्रपत्र टी.ई.ए. से http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090. पर उपलब्ध है।

यह आवश्यक नहीं कि आप टी.ई.ए. प्रपत्र का ही उपयोग करें, पर आपके अनुरोध में अग्रांकित जानकारी होनी आवश्यक है: आपके बच्चे का नाम और पता, या फिर यदि आपका बच्चा बेघर है तो उपलब्ध संपर्क जानकारी; आपके बच्चे के विद्यालय का नाम; आपके बच्चे को जो समस्या है उसका विवरण, इसमें समस्या से संबंधित तथ्य शामिल हैं; और उस समय आपको ज्ञात एवं उपलब्ध सीमा तक आपके द्वारा प्रस्तावित समस्या का हल।

यदि आप सुनवाई का अनुरोध करते हैं, तो आपको अपनी लिखित अनुरोध की एक प्रति विद्यालय को भेजनी होगी। आपकी सुनवाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि आप ऊपर बताई गई सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली अनुरोध न भेजें। आपका अनुरोध प्राप्त होने के 10 कैलेंडर दिनों के अंदर, विद्यालय को आपको एक उत्तर भेजना होगा (बशर्ते उसने पहले ही ऐसा न कर दिया हो) जो अग्रिम लिखित सूचना की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। आपका अनुरोध प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के अंदर, विद्यालय को सुनवाई अधिकारी को सूचित करना होगा और यदि विद्यालय का मानना हो कि आपने समस्त आवश्यक जानकारी शामिल नहीं की है तो आपको भी सूचित करना होगा। आपके अनुरोध में दी गई जानकारी पर्याप्त है या नहीं इस पर निर्णय देने के लिए सुनवाई अधिकारी के पास पाँच कैलेंडर दिन होते हैं।

आप अपना अनुरोध, सुनवाई से पहले कम-से-कम पाँच कैलेंडर दिन शेष रहते, केवल तब बदल सकते हैं यदि विद्यालय सहमत हो या यदि सुनवाई अधिकारी आपको अनुमति दे। आप सुनवाई में ऐसे मुद्दे नहीं उठा सकते हैं जिन्हें अनुरोध में नहीं उठाया गया था। यदि दाखिल करने वाला पक्ष, भले ही वह आप हों या विद्यालय, अनुरोध में बदलाव करता है, तो समाधान सत्र की समय-सीमाएं और समाधान हेतु समय अवधि, संशोधित अनुरोध दर्ज कराने की तिथि से पुनः आरंभ होंगे।

यदि आप आपके क्षेत्र में उपलब्ध किसी निःशुल्क या कम लागत वाली विधिक या अन्य प्रासंगिक सेवाओं की जानकारी का अनुरोध करते हैं या यदि आप या विद्यालय कोई उचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपको यह जानकारी प्रदान करनी होगी।

- **समाधान बैठक** — त्वरित सुनवाई के मामले (त्वरित समाधान समय-सीमाओं के लिए नीचे देखें) को छोड़ कर, आपके उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के अंदर विद्यालय को आप, निर्णय लेने का प्राधिकार वाले किसी विद्यालय प्रतिनिधि और आप एवं विद्यालय द्वारा चुने गए ए.आर.डी. समिति सदस्यों के साथ *समाधान बैठक* नामक एक बैठक आयोजित करनी होगी। विद्यालय बैठक में किसी वकील को केवल तब शामिल कर सकता है यदि आप बैठक में अपने साथ वकील ले गए हों।

  यदि विद्यालय ने अनुरोध प्राप्त होने के 30 कैलेंडर दिनों के अंदर आपके अनुरोध में उठाये गए मुद्दों को आपकी संतुष्टि तक हल नहीं किया है, तो सुनवाई हो सकती है।

  30 कैलेंडर दिनों की समाधान अवधि के समाप्त हो जाने पर अंतिम निर्णय जारी करने की 45 कैलेंडर दिनों की समय-सीमा आरंभ हो जाती है। कुछ अपवादस्वरूप स्थितियों में 30 कैलेंडर दिनों की समाधान अवधि में समायोजन किया जाता है। वे अपवाद नीचे वर्णित हैं।

  आप और विद्यालय, दोनों ही के समाधान प्रक्रिया को त्यागने पर या मध्यस्थता का उपयोग करने पर सहमत हो जाने की स्थिति को छोड़ कर, समाधान बैठक में भाग लेने में आपकी विफलता समाधान प्रक्रिया और सुनवाई की समय-सीमाओं को तब तक विलंबित कर देगी जब तक कि आप बैठक में भाग लेने पर सहमत न हो जाएं।

  यदि समुचित प्रयास करने और उन प्रयासों को प्रलेखित करने के बाद, विद्यालय समाधान बैठक में आपकी सहभागिता प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो 30 कैलेंडर दिनों की समाधान अवधि की समाप्ति पर, विद्यालय यह अनुरोध कर सकता है कि सुनवाई अधिकारी आपकी उचित प्रक्रिया सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दे। विद्यालय के प्रयासों के प्रलेखन में शामिल होने चाहिए: परस्पर सहमति वाले समय और स्थान पर विद्यालय के बैठक की व्यवस्था करने के प्रयासों का अभिलेख, जैसे की गईं टेलीफॉन कॉलों या टेलीफॉन कॉलों की कोशिशों और उन कॉलों के परिणामों के विस्तृत अभिलेख; आपको भेजे गए पत्राचार की तथा जो भी उत्तर प्राप्त हुए हों उनकी प्रतियां; और आपके घर या रोज़गार के स्थान पर की गईं मुलाकातों के विस्तृत अभिलेख और उन मुलाकातों के परिणाम।

  यदि विद्यालय आपकी उचित प्रक्रिया शिकायत की सूचना प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के अंदर समाधान बैठक आयोजित करने में विफल रहता है, या समधान बैठक में भाग लेने में विफल रहता है, तो आप सुनवाई अधिकारी से यह आदेश देने को कह सकते हैं कि 45 कैलेंडर दिनों की सुनवाई समय-सीमा आरंभ हो जाए।

  यदि आप और विद्यालय समाधान बैठक को त्यागने पर लिखित में सहमत हो जाते हैं, तो अगले कैलेंडर दिन से उचित प्रक्रिया सुनवाई की 45 कैलेंडर दिनों की समय-सीमा आरंभ हो जाएगी। मध्यस्थता या समाधान बैठक आरंभ होने के बाद एवं 30 कैलेंडर दिनों की समाधान अवधि समाप्त होने से पहले, यदि आप और विद्यालय लिखित में इस बात पर सहमति देते हैं कि कोई करार/समझौता संभव नहीं है, तो अगले कैलेंडर दिन से सुनवाई की 45 कैलेंडर दिनों की समय सीमा आरंभ हो जाएगी। यदि आप और विद्यालय मध्यस्थता प्रक्रिया के उपयोग पर सहमति देते हैं, तो 30 कैलेंडर दिनों की समाधान अवधि के समाप्त होने पर दोनों पक्ष करार/समझौते तक पहुंचने तक मध्यस्थता जारी रखने पर लिखित में सहमत हो सकते हैं। हालांकि, यदि आप या विद्यालय मध्यस्थता प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं, तो अगले कैलेंडर दिन से सुनवाई की 45 कैलेंडर दिनों की समय-सीमा आरंभ हो जाएगी।

  समाधान बैठक का उद्देश्य आपको विद्यालय के साथ अपने अनुरोध एवं अंतर्निहित तथ्यों पर चर्चा करने का अवसर देना, और विद्यालय को विवाद जो अनुरोध का आधार है उसका समाधान करने का अवसर देना है। यदि बैठक में आप किसी करार/समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो आपको और विद्यालय को अपने करार को लिखित रूप देकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।

यह लिखित करार, कानून के तहत इस प्रकार के वाद की सुनवाई का प्राधिकार रखने वाले न्यायालय या संघीय डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में प्रवर्तनीय है, बशर्ते करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन व्यापारिक दिनों के अंदर दोनों में से कोई भी पक्ष इस करार को निरस्त न करे।

यदि आपके अनुरोध में उठाये गए मुद्दें प्राप्त होने के 30 कैलेंडर दिनों के अंदर विद्यालय ने आपके अनुरोध का समाधान आपकी संतुष्टि तक नहीं किया है, तो सुनवाई हो सकती है।

- **त्वरित सुनवाइयों में समाधान बैठक** — शीघ्र सुनवाई के लिए, स्कूल को एक उचित प्रक्रिया सुनवाई के अनुरोध को प्राप्त करने के बाद सात कैलेंडर दिनों के भीतर संकल्प की बैठक आयोजित करनी चाहिए। यदि विद्यालय ने 15 कैलेंडर दिनों के अंदर शिकायत का समाधान आपकी संतुष्टि तक नहीं किया है तो आपके पास सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई की तारीख 20 स्कूल दिनों के भीतर आयोजित की जानी चाहिए जब उचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए अनुरोध दायर किया गया है। सुनवाई अधिकारी को 10 स्कूल दिनों के भीतर अंतिम निर्णय जारी करना चाहिए।

- **सुनवाई अधिकारी** — टी.ई.ए. एक निष्पक्ष सुनवाई अधिकारी सुनवाई के साथ अनुबंध का संचालन करेगा। सुनवाई अधिकारी टी.ई.ए. या आपके बच्चे की शिक्षा या देखभाल में संलग्न किसी भी एजेंसी का कर्मचारी नहीं हो सकता है या उसका ऐसे कोई व्यक्तिगत या व्यावसायिक हित नहीं हो सकता है जो सुनवाई में उसकी तटस्थता के साथ टकराव में हो। सुनवाई अधिकारी के पास सुनवाई अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल अवश्य होने चाहिए।

  टी.ई.ए. सुनवाई अधिकारियों की एक सूची बना कर रखती है जिसमें प्रत्येक सुनवाई अधिकारी की योग्यताएं शामिल होती हैं। यह सूची टी.ई.ए. वेबसाइट http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=**5090** **पर उपलब्ध. आप** विधिक सेवा कार्यालय से इस सूची का अनुरोध कर सकते हैं, जिसकी संपर्क जानकारी इस दस्तावेज़ के अंत में प्रदान की गई है वर्तमान सुनवाई अधिकारियों की सूची भी टी.ई.ए. की अग्रांकित वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.tea.state.tx.us/index4.aspx?id=5090.

- **कार्यवाहियों के दौरान बच्चे की स्थिति (स्टे पुट (Stay-put))** — उचित प्रक्रिया सुनवाई और किसी भी न्यायालय अपील के दौरान, सामान्यतः आपके बच्चे को वर्तमान शैक्षिक स्थापन में ही रहना होगा, बशर्ते आप और विद्यालय अन्यथा सहमत न हों। वर्तमान व्यवस्था में बने रहने को आमतौर पर *स्टे-पुट (stay-put) कहा जाता है।* यदि कार्यवाही में अनुशासन शामिल हो, तो अनुशासन संबंधी विवादों के दौरान बच्चे के स्थापन पर चर्चा के लिए अनुशासन अनुभाग देखें।

  यदि सुनवाई में आपके बच्चे को जन विद्यालय (पब्लिक स्कूल) में आरंभिक रूप से नामांकित किए जाने का आवेदन शामिल हो, तो आपके बच्चे को, यदि आप सहमति दें तो, सभी कार्यवाहियों के पूर्ण हो जाने तक जन विद्यालय कार्यक्रम में रखा जाना होगा। यदि बच्चा तीन वर्ष का हो रहा है और *आरंभिक बाल्यकालीन हस्तक्षेप* **(ई.सी.आई.)** कार्यक्रम से बाहर निकल रहा है, तो स्टे-पुट ई.सी.आई. सेवा नहीं है। यदि बच्चा विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए अर्ह है और पालक सहमत हों, तो जो सेवाएं विवाद में नहीं हैं वे प्रदान की जानी होंगी।

- **सुनवाई से पहले** — उचित प्रक्रिया सुनवाई से कम-से-कम पाँच व्यापारिक दिन पहले, आपको और विद्यालय को एक-दूसरे के समक्ष हर वह प्रमाण प्रकट करना होगा जिसे सुनवाई में पेश किया जाएगा। कोई भी पक्ष ऐसे प्रमाण को पेश किए जाने का विरोध कर सकता है जिसे समय पर साझा नहीं किया गया था। सुनवाई अधिकारी मूल्यांकनों एवं अनुशंसाओं समेत ऐसे प्रमाणों को पेश करना प्रतिबंधित कर सकता है जिन्हें समय-सीमाओं के अंदर प्रकट नहीं किया गया था।

- **सुनवाई के दौरान** — आपके पास अपना वकील और निःशक्तता-पीड़ित बच्चों के संबंध में विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण रखने वाले लोगों को साथ लाने एवं उनसे सलाह पाने का अधिकार है। आपके पास प्रमाण प्रस्तुत करने, आमना-सामना करने, ज़िरह करने, और गवाहों की उपस्थिति के लिए दबाव डालने का अधिकार है। आपके पास अपने बच्चे को साथ लाने और सुनवाई को आम जनता के लिए खोलने का अधिकार है। आपके पास सुनवाई के प्रत्येक सत्र को ऐसे समय व स्थान पर संचालित करवाने का अधिकार है जो आप और आपके बच्चे के लिए समुचित रूप से सुविधाजनक हो।

आपके पास सुनवाई का लिखित या इलेक्ट्रॉनिक शब्दशः अभिलेख निःशुल्क प्राप्त करने तथा जांच में सामने आए तथ्यों एवं निर्णयों को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

- **निर्णय** — यह आवश्यक है कि सुनवाई अधिकारी का निर्णय आपके बच्चे को एफ़.ए.पी.ई. प्राप्त हुई या नहीं इस बात के निर्धारण पर आधारित पुष्ट आधारों पर लिया जाए। यदि आप किसी कार्यविधिक त्रुटि के बारे में शिकायत करते हैं, तो केवल तब सुनवाई अधिकारी के निष्कर्ष में आपके बच्चे को एफ़.ए.पी.ई. नहीं मिली है यदि उस त्रुटि ने: आपके बच्चे को शैक्षिक लाभों से वंचित कर दिया हो; या आपके बच्चे को दी जाने वाली एफ़.ए.पी.ई. के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के आपके अवसर में उल्लेखनीय रूप से हस्तक्षेप किया हो।

  टी.ई.ए. को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 कैलेंडर दिनों की समाधान अवधि, या समायोजित समाधान अवधि, यदि लागू हो, की समाप्ति के बाद 45 कैलेंडर दिनों के अंदर अंतिम सुनवाई निर्णय प्राप्त हो जाए और दोनों पक्षों को डाक से भेज दिया जाए। त्वरित सुनवाई में सुनवाई की तिथि से 10 विद्यालयी दिनों के अंदर अंतिम निर्णय प्राप्त हो जाना चाहिए। सुनवाई अधिकारी अत्वरित सुनवाई में दोनों में से किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, उचित कारण से, विशिष्ट विस्तार स्वीकृत कर सकता है। सुनवाई अधिकारी त्वरित सुनवाई में विस्तार स्वीकृत नहीं कर सकता है। सुनवाई अधिकारी का निर्णय अंतिम है, बशर्ते सुनवाई का कोई पक्ष राज्य या संघीय न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध अपील न करे। सुनवाई अधिकारी का निर्णय, आपके बच्चे से संबंधित व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य समस्त जानकारी हटा दिए जाने के बाद, टी.ई.ए. की वेबसाइट पर चस्पा कर दिया जाएगा।

  विद्यालय को सुनवाई अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर, अथवा यदि कोई समय-सीमा निर्धारित न की गई हो तो निर्णय दिए जाने की तिथि के 10 विद्यालयी दिनों के अंदर, सुनवाई अधिकारी के निर्णय को लागू करना होगा, भले ही विद्यालय ने निर्णय के विरुद्ध अपील क्यों न की हो। इसका अपवाद केवल पिछले खर्चों की प्रतिपूर्तियां हैं (यदि कोई हों तो) जिन्हें अपील का समाधान होने तक रोका जा सकता है।

  आई.डी.ई.ए. में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी पिछली सुनवाई में संबोधित किए गए मुद्दे से अलग मुद्दे पर एक और उचित प्रक्रिया शिकायत करने से रोकता हो।

- **दीवानी मुकदमा** — आपके पास निर्णय जारी किए जाने के अधिकतम 90 कैलेंडर दिनों के अंदर, सुनवाई अधिकारी के जांच-परिणामों/निष्कर्षों और निर्णय के विरुद्ध, राज्य या संघीय न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। अपील प्रक्रिया के भाग के रूप में, न्यायालय को उचित प्रक्रिया सुनवाई के अभिलेख प्राप्त करने चाहिए, दोनों में से किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अतिरिक्त प्रमाणों को सुनना चाहिए, अपने निर्णय को प्रमाण की प्रधानता पर आधारित करना चाहिए, और जो भी उपयुक्त राहत हो वह प्रदान करनी चाहिए।

  आई.डी.ई.ए. के भाग बी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमेरिकी संविधान या निःशक्तता-पीड़ित बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले अन्य संघीय कानूनों के तहत उपलब्ध अधिकारों, कार्यविधियों एवं उपायों को सीमित करता हो। इसका एकमात्र अपवाद यह है कि आई.डी.ई.ए. के तहत उपलब्ध किसी राहत की मांग करते हुए न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर करने से पहले, पालक या विद्यालय को आई.डी.ई.ए. के तहत प्रदत्त उचित प्रक्रिया सुनवाई कार्यविधियों को उपयोग में अवश्य लाना होगा। इसका अर्थ है कि यदि आपके पास ऐसे अन्य कानूनों, जो आई.डी.ई.ए. के तहत उपलब्ध कानूनों पर परस्पर-व्याप्त (ओवरलैप) होते हों, के तहत उपाय उपलब्ध हों, तो भी आपको न्यायालय में मुकदमा दायर करने से पहले सर्वप्रथम आई.डी.ई.ए. के उचित प्रक्रिया सुनवाई कार्यविधियों का उपयोग करना होगा।

- **अधिवक्ता शुल्क प्रदान करना** — यदि आप किसी उचित प्रक्रिया सुनवाई या न्यायालय में जो मांग कर रहे हैं उसका कोई अंश या उसे संपूर्ण रूप से जीत जाते हैं, तो न्यायाधीश आपको आपके उचित अधिवक्ता शुल्क एवं संबंधित व्यय प्रदान कर सकते हैं।

  अधिवक्ता शुल्क प्रदान किए जाने में समाधान सत्र या ए.आर.डी. समिति की बैठकों के संबंधित व्यय शामिल नहीं होंगे, बशर्ते किसी सुनवाई अधिकारी या न्यायालय ने ए.आर.डी. समिति की बैठक का आदेश न दिया हो।

आपको उस समय, जब विद्यालय ने आपको लिखित समझौता प्रस्ताव दिया था, के बाद किए गए कार्य के लिए अधिवक्ता शुल्क प्रदान नहीं किया जा सकता है यदि: विद्यालय ने वह प्रस्ताव उचित प्रक्रिया आरंभ होने से 10 से अधिक कैलेंडर दिन पहले दिया हो; आपने 10 कैलेंडर दिनों के अंदर प्रस्ताव स्वीकार न किया हो; और न्यायालय ने यह पाया हो कि सुनवाई से आपको

न्यायालय को आपको प्रदत्त अधिवक्ता शुल्क की राशि घटानी होगी यदि उसे यह ज्ञात होता है कि: आप या आपके अधिवक्ता ने अनुचित ढंग से विवाद को लंबा खींचा है; अधिवक्ता का शुल्क, समान प्रकार की सेवाओं के लिए समुदाय में समान प्रकार के अधिवक्ताओं द्वारा ली जाने वाली घंटेवार दर से अनुचित ढंग से अधिक है; कार्यवाही की प्रकृति को देखते हुए, आपके अधिवक्ता द्वारा खर्चा गया समय अत्यधिक है; या आपका अधिवक्ता शिकायत सूचना में विद्यालय को उपयुक्त जानकारी देने में विफल रहा है। यदि न्यायालय को यह ज्ञात होता है कि विद्यालय ने कार्यवाहियों को अनुचित ढंग से लंबा खींचा है या अनुचित ढंग से व्यवहार किया है तो शुल्क में कटौती आवश्यक नहीं है।

यदि सुनवाई या न्यायालय की कार्यवाही में विद्यालय की जीत होती है, तो न्यायालय आपको या आपके अधिवक्ता को विद्यालय के उचित अधिवक्ता शुल्कों का भुगतान करने का आदेश दे सकता है, बशर्ते आपके अधिवक्ता ने ऐसी उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध या अनुवर्ती वाद हेतुक (मुकदमे का कारण) प्रस्तुत किया हो जो तुच्छ हो, अनुचित हो, या निराधार हो, या उसने मुकदमा स्पष्ट रूप से तुच्छ, अनुचित या निराधार बन जाने के बाद भी मुकदमेबाजी जारी रखी हो। यदि आपका उचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध या अनुवर्ती न्यायालय कार्यवाही किसी अनुचित उद्देश्य के लिए, जैसे उत्पीड़ित करने, अनावश्यक विलंब करने, या मुकदमेबाजी की लागत को अनावश्यक रूप से बढ़ाने के लिए, प्रस्तुत की गई थी तो भी आप या आपके अधिवक्ता के लिए विद्यालय के अधिवक्ता शुल्कों का भुगतान करना आवश्यक किया जा सकता है।

संपर्क सूचना

यदि आपको इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी के बारे में कुछ पूछना हो या आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो जो आपको यह जानकारी समझाए, तो कृपया यहां संपर्क करें:

स्थानीय संपर्क सूचना		
स्कूल	शिक्षा सेवा केंद्र (एजुकेशन सर्विस सेंटर)	अन्य संसाधन
नाम:	नाम:	नाम:
टेलीफोन नंबर:	टेलीफोन नंबर:	टेलीफोन नंबर:
ई-मेल:	ई-मेल:	ई-मेल:

यदि आपको विशेष शिक्षा संबंधी मुद्दों पर जानकारी चाहिए हो, तो आप 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) पर विशेष शिक्षा जानकारी केंद्र को कॉल कर सकते हैं। यदि आप इस नंबर पर कॉल करके कोई संदेश छोड़ते हैं, तो कोई न कोई व्यक्ति सामान्य व्यापारिक घंटों के दौरान आपको वापस कॉल करेगा। बधिर या सुनने में कठिनाई वाले व्यक्ति 7-1-1 पर रिले टेक्सास का उपयोग करते हुए ऊपर दिए गए वॉइस नंबर को कॉल कर सकते हैं।

यदि आपको किसी अनिर्णीत विशेष शिक्षा शिकायत के बारे में कुछ पूछना हो, तो टी.ई.ए. के संघीय एवं राज्य शैक्षिक नीति संभाग से 512-463-9414 पर संपर्क करें। यदि आपको किसी अनिर्णीत मध्यस्थता या उचित प्रक्रिया सुनवाई के बारे में कुछ पूछना हो तो क्रमशः निर्धारित मध्यस्थ या सुनवाई अधिकारी से संपर्क करें।

टी.ई.ए. सेवाओं हेतु लिखित अनुरोध भेजते समय,
कृपया अपने पत्र को निम्नांकित पतों पर भेजें:

Texas Education Agency 1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494

निम्नलिखित संभागों के ध्यान हेतु:

Division of Federal and State Education Policy
State IEP Facilitation Project

Office of Legal Services
Special Education Mediation Coordinator

Division of Federal and State Education Policy
Special Education Complaint Unit

Office of Legal Services
Special Education Due Process Hearings

कृपया टी.ई.ए. के संघीय एवं राज्य शिक्षा नीति संभाग की अग्रांकित वेबसाइट पर पधारें:
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147491399